न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2026	2026/23	25.02.2026	05.05.2026

1. मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 31 साल, निवासी कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।
2. सत्यनारायण शर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 21 साल, निवासी कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।
3. सुनीता देवी पत्नी श्री राकेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 55 साल, निवासी कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।
4. मनीषा शर्मा पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 29 साल, निवासी कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0।
5. रजनी शर्मा पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा, उम्र करीब 35 साल, निवासी कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0 हाल निवासी मकान न0 11 सुभाष नगर एन0ई0बी0 अलवर राज0।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर राजगढ, जिला अलवर, राज.।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 18.09.2025 तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर बाबत् नामान्तकरण संख्या 494 वाके ग्राम कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

उपस्थितः—

01. श्री अजीत कुमार यादव —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक) —वकील रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर दिनांक 18.09.2025 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 494 के खारिज किये जाने से व्यथित होकर पेश की है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्ट फीस 2/—रूपया चस्पा है, तथा आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अपील विरुद्ध आलोच्य आज्ञा दिनांक 18.09.2025 तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर राज. बाबत नामान्तकरण संख्या 494 वाके ग्राम कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज. मिन अपीलाण्ट्स की गैर जानकारी एवं गैर मौजूदगी में पारित की गई इसलिए समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी। इसमें पति/पिता मृतक राकेश की कोई लापरवाही या बदयान्ती नहीं है। पति/पिता मृतक राकेश को आलोच्य आदेश तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर राज. दिनांक 18.09.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.09.2025 को पटवारी हल्का से मौखिक रूप से हुयी। जिस पर दिनांक 25.09.2025 को आलोच्य आदेश के बाबत इन्तकाल को मंजुर करवाये जाने हेतू तहसीलदार महोदय राजगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कोई कार्यवाही नही होने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पर दिनांक 09.10.2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही होने पर आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 11.02.2026 को प्राप्त कर वकील साहब से सलाह मशवरा कर बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। आदेश तहत अदालत दिनांक 18.09.2025 की सर्वप्रथम दिनांक 25.09.2025 को जानकारी होने पर तहसीलदार राजगढ़ व जिलाधीश महोदय अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही के इन्तजार मे दिनांक 11.02.2026 तक व्यतीत होने तक का समय पति/पिता मृतक राकेश की जानकारी के अभाव में मुजरा दिये जाने योग्य हैं जहाँ आदेश आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हो, वहा मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसे आदेश को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नही है ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलाण्टान न्यायहित में अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। आज्ञा नामान्तकरण विधि विरूद्ध व तथ्यो के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट ने पटवार हल्का अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर राज. हम अपीलाण्टान के पति/पिता मृतक राकेश का स्वर्गवास के उपरान्त विरासत का नामन्तकरण हल्का पटवारी के द्वारा दर्ज करने पर रेस्पोडेण्ट के द्वारा अपीलाण्टान की आराजी 01 रकबा 0.29 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन जोहडी प्रतिबंधित किस्म होना दर्ज करते हुये खारिज फरमा दिया जो अविधिक है। जिस आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा उक्त आलोच्य अपास्त होने योग्य है।

हम अपीलांट्स के पति/प्रिता मृतक राकेश की खातेदारी आराजी वाके ग्राम कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ, जिला अलवर राज0 का विरासत नामान्तकरण को रेस्पोडेण्ट के द्वारा गलत प्रकार से खारिज किया गया है क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.29 है0 किस्म गैर मुमकिन जोहडी, भी हम अपीलाण्टान के पति/पिता मृतक राकेश की खातेदारी आराजी है जिसमे हम अपीलाण्टान के पति/पिता मृतक राकेश का 1/32 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज है के बावजूद रेस्पोडेण्ट के द्वारा गलत तरीके से विरासत इन्तकाल निरस्त किया है जिससे आलोच्य आदेश को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण को मंजूर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश हम अपीलाण्टान को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं मौके पर कब्जे के खिलाफ पारित किया गया है जो आदेश अपास्त होने योग्य है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर नामान्तकरण को मंजुर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत ने अपीलाधीन इन्तकाल करने से पूर्व मिन अपीलाण्ट्स को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया और गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन उक्त नामान्तकरण का निर्णय किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की स्पष्टतया अवहेलना हुई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर नामान्तकरण को मंजूर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण मंजुर नहीं किया जाता है, तो अपीलाण्टा के खातेदारी हकूक जायल होंगे तथा अपीलाण्टा को सरकारी नीतियो का फायदा नही मिलेगा इसलिए अपीलाण्टा को उक्त आलोच्य आदेश को निरस्त करवाया जाकर नामान्तकरण मंजुर कराना न्यायहित में अतिआवश्यक हुआ है। जिस हेतू यह अपील नेकनियति व सदभावनापूर्वक पेश की जा रही है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत में अपीलाण्टा आज्ञा इन्तकाल खिलाफ तथ्य कानून मौके साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तो एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर नामान्तकरण को मंजुर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहत आलोच्य आज्ञा तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 18.09.2025 को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 494 वाके ग्राम कोठी नारायणपुर, तहसील राजगढ, जिला अलवर राज. को मंजूर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल फरमाया जाकर अपील अपीलाण्टा स्वीकार किये जाने एवं खर्चा मुकदमा अपीलाण्टा को रेस्पोडेण्ट से दिलाये जाने की आज्ञा पारित करने की कृपा करें एवं अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली मे वकील अपीलांट्स व राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोंडेंट) की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किये कि हसीलदार महोदय ने नामान्तरण खारिज करने से पूर्व मृतक राकेश के वारिसान को न तो कोई नोटिस जारी किया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मृतक राकेश की ग्राम कोठी नारायणपुर की खसरा नंबर 01 रकबा 0.29 है. में 1/32 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विरासत का नामान्तरण केवल एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही है जो मृत्यु के बाद वारिसान के हक को दर्ज करने के लिए होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसे गैर मुमकिन जोहड़ी बताकर खारिज किया है। यदि भूमि मृतक के नाम पहले से खातेदारी में दर्ज थी, तो केवल वारिसों के नाम दर्ज करने से भूमि की प्रकृति नहीं बदलती। यदि यह नामान्तरण स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी अपने पूर्वजों की भूमि से बेदखल हो जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय तथ्यों और साक्ष्यों का सही विश्लेषण किए बिना जल्दबाजी में इंतकाल खारिज किया है। श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजगढ के आदेश दिनांक 18.09.2025 को अपास्त किया जावे और नामान्तरण संख्या 494 को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें।

राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोंडेंट) ने वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि रेस्पोडेंट द्वारा इंतकाल 494 दिनांक 18.09.2025 खारिज-किया गया वो उचित है क्यूंकि विवादित भूमि कि किस्म गैर मु0 जोहडी है इसलिए उसका नामान्तकरण किसी अन्य पक्षकार को किया जाना गलत होगा। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 18.09.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विरासत नामान्तरण संख्या 494 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि विवादित भूमि खसरा नंबर 01 रकबा 0.29 है0 की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ी दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

है। अपीलांट्स अधिवक्ता के मुख्य तर्क हैं कि मृतक राकेश के स्वर्गवास/मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरण दर्ज होना विधि सम्मत था। तहसीलदार राजगढ़ ने बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त नामान्तरण केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया कि आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 0.29 है0 की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ी है, जबकि उक्त भूमि पर मृतक का 1/32 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से ही खातेदारी के रूप में दर्ज चला आ रहा था।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 16 सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर नए खातेदारी अधिकार देने पर रोक लगाती है। किन्तु इस मामले में मृतक राकेश का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पहले से ही खातेदार के रूप में दर्ज था। विरासत का नामान्तरण कोई नया आवंटन नहीं है, बल्कि यह केवल मृतक के स्थान पर उसके विधिक वारिसों का नाम प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है। यदि राजस्व रिकॉर्ड में कोई प्रविष्टि गलत है, तो उसे सुधारने की एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया है। तहसीलदार को विरासत के इंतकाल के दौरान मूल खातेदारी को सीधे खारिज करने या विरासत के नामान्तरण को सीधे खारिज करने का अधिकार सीमित है, जब तक कि उस मूल आवंटन/खातेदारी को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाए। हस्तगत प्रकरण में तहसील राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 में मृतक के वारिसानों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रक्रियागत त्रुटि होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजगढ़ को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक राकेश की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 01 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम कोठी नारायणपुर के संबंध में उसके विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)